| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|

04/11/25

## उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।

R.M.A Case No.-25/2020-21

सागीर अंसारी **बनाम** कारू मियाँ एवं 16 आना रैयत।

### आदेश

यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के P. A. Case No-15/2018-19 में दिनांक-04.06.2020 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर है।

अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के P. A. Case No-15 of 2018-19 को पारित आदेश द्वारा कारू मियाँ पिता-मदन मियाँ को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा-6 के तहत वंशानुगत आधार पर मौजा-केन्दुवाटाँड़ के प्रधानी पद पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई है।

अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के P.A. Case No-15 of 2018-19 में दिनांक-04.06.2020 को पारित आदेश अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय के R.M.A. Case No-48/2007-08 सागीर अंसारी बनाम कारू मियाँ में दिनांक-10.11.2018 को पारित आदेश "Heard both parties. Both parties accepted that if there exists any dispute regarding facts and procedure adopted S.D.O may be directed to appoint pradhan in fresh manner in accordance with law. Accordingly appeal is allowed to the extent that appointment of pradhan is set aside with liberty to parties to approach S.D.O for appointment of pradhan within a month from the order and S.D.O will decide the matter in accordance with law" के निदेशानुसार अनुपालन है।

अपीलकर्त्ता सागीर असांरी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि मौजा-केन्दुवाटाँड़ पूर्व से ही एक प्रधानी मौजा है एवं हीराउद्दीन मियाँ पूर्व में मौजा-केन्दुवाटाँड़ का प्रधान थे, लेकिन लगान वसूली नहीं कर पाने के कारण उसे प्रधानी पद से बर्खास्त किया गया था। अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के Pradhani Case No-131 of 1944-45 द्वारा नाथु मियाँ को मौजा-केन्दुवाटाँड़ के प्रधानी पद पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई थी। लेकिन उक्त वाद में बर्खास्त प्रधान के पुत्र को प्रधानी पद पर उम्मीदवार के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। नाथु मियाँ जीवन पर्यन्त मौजा-केन्दुवाटाँड़ के प्रधान पद पर नियुक्त थे। नाथु मियाँ के मृत्यु के पश्चात् मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति नहीं हुई। वर्ष 2007 में उत्तरवादी कारू मियाँ द्वारा पूर्व बर्खास्त प्रधान के वंशज होने का मिथ्या आधार पर मौजा के प्रधानी पद पर आवेदन दिया गया एवं अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के P.A. Case No-40 of 2006-07 में दिनांक-06.02.2008 को पारित आदेश द्वारा मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु स्वीकृति दी गई। उक्त आदेश के विरूद्ध सागीर असांरी के पिता आयुब मियाँ द्वारा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय के R.M.A. Case No-48/2007-08 द्वारा अपील दायर किया गया जिसमें दिनांक-10.11.2018 को पारित आदेश द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय के P.A. Case No-40 of 2006-07 में दिनांक-06.02.2008 को पारित आदेश निरस्त करते हुए Fresh Manner में प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु निदेश दिया गया। उत्तरवादी कारू मियाँ द्वारा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा-5 के तहत प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय जामताड़ा में प्रार्थना किया गया जो P.A. Case No-15/2018-19 के रूप में दर्ज है तथा अपीलकर्त्ता द्वारा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा-6 के तहत प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय जामताड़ा में प्रार्थना किया गया जो P.A. Case No-38/2019-20 के रूप में दर्ज है। दोनो वाद अभिलेख को संलग्न किया गया एवं अंचल अधिकारी, करमाटाँड (विद्यासागर) से प्रतिवेदन का माँग किया गया। अंचल अधिकारी, करमाटाँड़ द्वारा विवादास्पद प्रतिवेदन समर्पित किया गया एवं अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा द्वारा गैरकानूनी आदेश पारित करते हुए कारू मियाँ को मौजा-केन्दुवाटाँड़ के प्रधानी पद पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गयी। पुनः अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 (अनुपूरक) की धारा-5 के तहत प्रधानी नियुक्ति हेतु कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत था क्योंकि मौजा लम्बे अवधि से खास था। उनके द्वारा कहा गया कि प्रधानी मौजा बहुत लम्बे समयावधि से खास रहने के कारण संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 (अनुपूरक) की धारा-6 के तहत वंशानुगत आधार पर प्रधान की नियुक्ति किया जाना न्यायसंगत नहीं है, तदनुसार अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के P.A. Case No-15/2018-19 में दिनांक-04.06.2020 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम

Ranjan Patra

1949 (अनुपूरक) की धारा-5 के तहत प्रधानी नियुक्ति हेतु प्रार्थना किया गया।

उत्तरवादी कारू मियाँ के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के P.A. Case No-15/2018-19 में दिनांक-04.06.2020 को पारित आदेश द्वारा उत्तरवादी कारू मियाँ को मौजा-केन्दुवाटाँड़ के प्रधानी पद पर नियुक्ति किया गया, जिसके विरूद्ध उपायुक्त महोदय के न्यायालय जामताड़ा में अपील दायर R.M.A. Case No-48/2007-08 के रूप में दर्ज हुआ। उपायुक्त महोदय के न्यायालय जामताड़ा के R.M.A. Case No-48/2007-08 में दिनांक-10.11.2018 को पारित आदेश द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा को "...fresh manner accordance with law..." पर मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु निदेश दिया गया। उपरोक्त आदेश के अनुपालन पर कारू मियाँ द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु Fresh petition दाखिल किया गया जो अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय जामताड़ा में P.A. Case No-15/2018-19 के रूप में दर्ज हुआ। तत्पश्चात अपीलकर्त्ता सागीर अंसारी द्वारा भी अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा में मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दाखिल किया गया जो अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय जामताड़ा में P.A. Case No-38/2019-20 के रूप में दर्ज हुआ। दोनो अभिलेख को सम्बद्ध किया गया एवं अंचल अधिकारी, करमाटाँड़ द्वारा प्रतिवेदन दाखिल किया गया। मौजा के 16 आना रैयतों का आम सहमति भी लिया गया। तत्पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के P. A. Case No-15 of 2018-19 को पारित आदेश द्वारा कारू मियाँ पिता-मदन मियाँ को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियिम 1949 की धारा-6 के तहत वंशानुगत आधार पर मौजा-केन्दुवाटँड़ के प्रधानी पद पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई। उभयपक्ष के सुनने के पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा कारू मियाँ पिता-स्व0 मदन मियाँ को मौजा-केन्दुवाटाँड़ के प्रधानी पद पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई। कारू मियाँ द्वारा कबुलियत प्रस्तुति के पश्चात पट्टा प्राप्ति हुआ। नियुक्ति के पश्चात कारू मियाँ द्वारा रैयतों के संतुष्ट रखते हुए प्रधानी पद का कार्य किया जा रहा है। विज्ञ अधिवक्ता द्वारा पुनः कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर निम्न न्यायालय को निदेश दिया जाता है कि वे मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु सर्वप्रथम संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (अनुपूरक) 1949 की धारा-5 के अनुसरण किया जाय। अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा द्वारा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियिम 1949 की धारा-6 का अनुसरण किया गया है जो कि न्यायसंगत है। पुनः माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर यह भी निदेश दिया जाता है कि मौजा की प्रधानी नियुक्ति में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा-6 की असहमति या अस्वीकृति के पश्चात ही संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा-5 का अनुसरण करना चाहिए। कारू मियाँ अभिलेखित प्रधान हीराउद्दीन मियाँ के पुत्र मदन मियाँ का पुत्र है। हीराउद्दीन मियाँ को लगान जमा नहीं कर पाने के कारण प्रधानी पद से बर्खास्त किया गया था। उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के P.A. Case No-15/2018-19 में दिनांक-04.06.2020 को पारित आदेश को न्यायसंगत कहते हुए अपील आवेदन खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया।

उभयपक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा लम्बे समयावधि से खास है। तदनुसार कारू मियाँ द्वारा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियिम 1949 की धारा-5 एवं सागीर असांरी द्वारा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा-6 के तहत मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन (fresh manner) दाखिल किया गया। अंचल अधिकारी, जामताड़ा के पत्रांक-45/रा0, दिनांक-01.02.2020 द्वारा कारू मियाँ पिता-स्व0 मदन मियाँ को खतियानी प्रधान का पौता प्रतिवेदित करते हुए उन्हे प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवार प्रतिवेदित किया गया है, 16 आना रैयतों का आम सहमति का आवदेन दिया गया है। अंचल अधिकारी, जामताड़ा के पत्रांक-343/रा0, दिनांक-18.07.2000 द्वारा प्रतिवेदित है कि "सागीर असांरी खतियान प्रधान नथु मियाँ का वंशज है, खतियानी प्रधान के तृतीय पुत्र के पोता है। प्रथम आवेदक कारू मियाँ का कहना है कि खतियानी प्रधान हीराउद्दीन मियाँ थे तथा मै उसका वंशज मे आता हूँ एवं द्वितीय आवेदक सागीर असांरी का कहना है कि खतियानी प्रधान नथु मियाँ में तथा मै उनका वंशज में आता हूँ तथा अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा प्रधानी वाद संख्या-181/1944-45 में लगान वसूली नहीं कर पाने के कारण खतियानी प्रधान हीराउद्दीन मियाँ को प्रधानी पद से बर्खास्त कर दिया गया है। प्रथम आवेदक का शैक्षणिक योग्यता मात्र साक्षर है जबकि द्वितीय आवेदक अष्टम उत्तीर्ण तथा ग्रामीण 16

Mian
Kr. Bal
62. Md. Zakir Ansari
53. Sri Satyendra Routh
81.
82. Sri Koushik Kr. Mishra

आना रैयत का आम सहमति भी प्राप्त है जो मूल रूप में संलग्न है। अतः द्वितीय आवेदक सागीर असंारी को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा-6 के तहत प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जाती है।"

सागीर अंसारी द्वारा जो अपील आवेदन दिया गया है उसके कंडिका-6 में स्वंय इस बात को स्वीकार किया गया है कि नाबु मियाँ के मृत्यु के बाद किसी को प्रधानी पद पर नियुक्त नहीं किया गया एवं मौजा खास हो गया था। अतः उनके द्वारा भी अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा में दायर P.A. Case No-15/2018-19 में धारा-6 के अन्तर्गत प्रधानी नियुक्ति हेतु आदेदन दाखिल किया जाना उचित नहीं है। अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के Pradhani Case No-131/1944-45 में नाबु मियाँ को प्रधान नियुक्त किया गया था। कारू मियाँ, नाबु मियाँ के वंशज नहीं है। अतः उनके द्वारा धारा-6 के तहत प्रधानी प्राप्त करना न्यायसंगत नहीं है। उक्त आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के P. A. Case No-15/2018-19 में दिनांक-04.06.2020 को पारित आदेश में कारू मियाँ को वंशानुगत आधार पर प्रधान नियुक्त किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के P.A. Case No-15/2018-19 में दिनांक-04.06.2020 को पारित आदेश खारिज (Set Aside) करते हुए वाद पुनर्विचार हेतु वापस किया जाता है। पुनः आदेश दिया जाता है कि अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा संथाल परगना काश्तकारी (अनुपूरक उपबंध) अधिनियम 1949 की धारा-5 के तहत उक्त मौजा में प्रधानी नियुक्ति कराना सुनिश्चित करेंगे।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

04/11/25

उपायुक्त,
जामताड़ा।

04/11/25

उपायुक्त,
जामताड़ा।

Digitally signed by RAVI ANAND
Date: 2025.11.14 10:43:27 +05:30
Location: 192.168.1.106